<u>**Sixteenth Loksabha**</u>

an>

Title: Need to provide pension and other benefits uniformly to all senior citizens in the country.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों को देखते हुए देश में समान रूप से सभी नागरिकों को, पुरुष और महिलाओं को, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनको कम से कम तीन हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। इसके लिए बीपीएल की अनिवार्यता भी समाप्त करने की आवश्यकता है। देश के सभी वरिष्ठ व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उनको पेंशन का हकदार माना जाना चाहिए। यह स्कीम केन्द्र द्वारा सामाजिक कल्याण योजना के तहत प्रारंभ किए जाने की जरूरत है। …(व्यवधान)

सरकार के पास वर्ष 2011 की जनगणना उपलब्ध है। सरकार सभी सरकारी योजनाओं में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मान रही है। अत: इस योजना के लिए सामाजिक, आर्थिक, जातीय आधारित या गरीबी रेखा के नीचे, किसी भी प्रकार की कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए मात्र एक मापदंड होना चाहिए कि जिनकी आयु वर्ष 2011 में 60 वर्ष हो गई है, उनको वृद्धा पेंशन देने की व्यवस्था की जाए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

डॉ. संजय जायसवाल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।